श्री विनय कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित याचिका संख्या-105/26 का उत्तर प्रतिवेदन

याचिका	उत्तर प्रतिवेदन
सारण जिला के तटबंध सहित राज्य के सभी जिलों के तटबंधों के निर्माण में मिट्टी की खुदाई की जाती है। तटबंधों के निर्माण में मिट्टी की खुदाई के एवज में सरकार के कोष में रॉयल्टी जमा की जानी है, परन्तु संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारियों के मिलीभगत से रायल्टी जमा नहीं की जा रही है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग को कई बार पत्र लिखा, परन्तु रॉयल्टी अभी तक जमा नहीं की गई है। अतः याचिका के माध्यम से सरकार से याचना हैं कि सारण सहित राज्य के सभी जिलों के तटबंधों में मिट्टी की रॉयल्टी जमा करने की जाँच कराने एवं जाँचोपरान्त दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाय।	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सारण जिला अन्तर्गत हसनपुर बनिया से सगुनी के बीच 8.330 किलोमीटर की लंबाई में रिंग बाँध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें प्रयुक्त 5,20,802 घनमीटर मिट्टी हेतु निर्धारित दर रू० 33 प्रति घनमीटर के अनुसार रू० 171.86466 लाख की राशि रॉयल्टी के रूप में सरकारी कोष में जमा किया गया है। पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत 56.22 किलोमीटर की लम्बाई में सिकरहना दायाँ तटबंध का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसमें प्रयुक्त 8,41,623 घनमीटर मिट्टी हेतु रू० 277.73577 लाख की राशि रॉयल्टी के रूप में सरकारी कोष में जमा किया गया है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बागमती विस्तारीकरण योजना फेज-II अंतर्गत बागमती बायां तटबंध के कि०मी० 81.94 से कि०मी० 88.72 एवं दायां तटबंध के कि०मी० 79.00 से कि०मी० 91.41 तथा काँटा-पिरौछा रिंग बांध निर्माण कार्य प्रगति में है जिसमें प्रयुक्त 3,59,994 घनमीटर मिट्टी हेतु रू० 118.79820 लाख की राशि रॉयल्टी के रूप में सरकारी कोष में जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार तटबंध पुनर्स्थापन/ सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भी नियमानुकूल रॉयल्टी की राशि सरकारी कोष में जमा करायी जा रही है। राज्यांतर्गत तटबंधों के निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य में प्रयुक्त मिट्टी की वास्तविक मात्रा के अनुसार रॉयल्टी सरकारी कोष में जमा किया जाता है। विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का अंकेक्षण जाँच भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है, जिसमें रॉयल्टी भुगतान एवं अन्य वित्तीय विसंगति के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–214 दिनांक–06.04.2026 के आलोक में याचिका सं0–105 / 26 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–06 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ (मो0), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–06 / 2026 3057 पटना / दिनांक :4/6/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव